

न्यायालय-द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला, भिण्ड मध्यप्रदेश
॥ पीठासीन अधिकारी पी.सी.आर्य ॥

व्यवहार वाद क्रं 08 ए/2014
 संस्थापन दिनांक 02-12-2011
 फाईलिंग नंबर-2303030002012

1. मुन्नालाल आयु 43 साल
2. जगराम आयु 31 साल
 पुत्रगण जबरसिंह जाति मांझी
 निवासी आपा कॉलोनी डांक बंगला
 रोड वार्ड नंबर-2 गोहद जिला भिण्ड
 म0प्र0वादीगण

बनाम

1. संजय शर्मा आयु 21 साल
 पुत्र रामवरन शर्मा जाति ब्रा0 निवासी
 वार्ड नंबर-11 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. भगवती प्रसाद शर्मा पुत्र रामचरन लाल
 शर्मा जाति ब्रा0 निवासी वार्ड नंबर-2
 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0प्रतिवादीगण

वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ।

वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधि0 ।
 प्रतिवादीगण द्वारा श्री भगवतीप्रसाद राजौरिया अधि0 ।

:– निर्णय :–

(आज दिनांक **04 फरवरी-2015** को घोषित किया गया)

1. वादीगण द्वारा उक्त वाद वार्ड नंबर-2 डांक बंगला के पास गोहद स्थित भूमि प्लॉट 120 गुणित 900 वर्गफीट के स्वत्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा बाबत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वादीगण द्वारा प्र0पी0-1 मुताबिक मुहम्मद आजम पुत्र फजले रहमान के विरुद्ध पृथक से एक सिविल वाद क्रमांक-43ए/09इ0दी0 विवादित भूमि में प्रतिवादी के निर्माण को लेकर पेश किया गया है जो विचाराधीन है।
3. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि उनका गोहद में आपा कॉलोनी वार्ड नंबर-2 डांक बंगला के पास एक प्लॉट स्थित है जो पूर्व पश्चिम

120 फीट, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर लंबा एवं 900 फीट चौड़ा पश्चिम की ओर 40 फीट पूर्व की ओर है जिसके पूर्व में 15 फीट, पश्चिम में 15 फीट का आम रास्ता, उत्तर में पुरानी नहर, और पश्चिम में पप्पू का मकान स्थित है जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति है और उनके पूर्वजों का भूमिस्वामी की हैसियत से आधिपत्य व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वे भी उसी हैसियत से भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है।

4. प्रतिवादी क्र०-1 ने प्रतिवादी क्र०-2 से षडयंत्र पूर्वक वयनामा करा लिया और उसके आधार पर दिनांक 22.11.09 को प्रतिवादी क्र०-1 ने उनके प्लॉट पर बलपूर्वक निर्माण कार्य करने हेतु नींव खोदने का प्रयास किया और तत्पर हो गये। तथा निर्माण सामग्री एकत्रित करने लगे तो उसी जगह में मुहम्मद आजम पुत्र फजले रहमान और उसके परिवार के लोगों ने बलपूर्वक विवादित जगह में दरवाजा बना लिया जिसके संबंध में सिविल जज वर्ग-2 गोहद के न्यायालय में पृथक से दीवानी वाद क्रमांक-43/09 संचालित है। जिसमें प्रतिवादी क्र०-1 को भी पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही की गई थी। और उससे संबंधित आवेदन के निरस्त हो जाने पर प्रतिवादी क्र०-1 द्वारा बलपूर्वक निर्माण की धमकी देने और निर्माण से रोके जाने पर असामाजिक तत्वों को भूमि विक्रय कर वयनामा करने की धमकी दिनांक 27.11.11 को दिये जाने से उत्पन्न वाद कारण के तहत उक्त वाद स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा बाबत वयनामा को चुनौती देते हुए पेश किया है।
5. वादीगण का यह भी अभिवचन है कि उक्त विवादित संपत्ति के पुश्तैनी जायदात होने से उन्होंने नगर पालिका गोहद से विधिवत मानचित्र स्वीकार कराकर पिता की मृत्यु के बाद अपना नामांतरण कराया है। किन्तु प्रतिवादी क्र०-2 ने बिना किसी स्वत्व व आधिपत्य के जो वयनामा किया है उससे प्रतिवादी क्र०-1 को कोई भी हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है जो झगड़े पर आमादा हैं। और वयनामा दिनांक 15.06.09 स्वत्व विहीन होने से उनके मुकाबले वे व्यर्थ एवं प्रभावशून्य हैं जिसकी भी घोषणा चाहते हुए वाद सव्यय डिक्री किये जाने की प्रार्थना नजरी नक्शा संलग्न कर की गई है।
6. प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त वादोत्तर प्रस्तुत कर वादीगण के अभिवचनों का खण्डन करते हुए लेख किया है कि विवादित भूमि प्लॉट वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य का नहीं है। न ही उनका उस पर कोई पुश्तैनी हक व अधिकार है। तथा वादीगण के पूर्वज कभी भी भूमिस्वामी की हैसियत से काबिज नहीं रहे। न उनका कोई उपयोग उपभोग है। विवादित भू-भाग पर जबरसिंह पुत्र तुलसीराम मालिक काबिज थे। उसके बाद क्रय दिनांक से प्रतिवादी क्र०-2 और उसके बाद प्रतिवादी क्र०-2 के द्वारा किये गये विक्रय पत्र के पश्चात से क्रय दिनांक से प्रतिवादी क्र०-1 मालिक की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसका वादोत्तर के साथ मानचित्र संलग्न किया गया है।
7. वादीगण ने अभिवचनों में असत्य वाद कारण अंकित किया है और

मुहम्मद आजम के मामले में प्रतिवादी क्र0-1 को पक्षकार बनाये जाने का जो आवेदन पेश किया गया था वह सही रूप से निरस्त हुआ है। उन्होंने कभी कोई धमकी नहीं दी है। और वादी क्र0-1 द्वारा नगर पालिका गोहद से वगैर विज्ञप्ति प्रकाशित कराये गलत रूप से स्वयं के पार्षद होने के कारण नक्शा स्वीकृत करा लिया हो तो वह कोई प्रभाव नहीं रखता है। क्योंकि पड़ोसियों और कब्जेधारियों और हितबद्ध लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। तथा भूमि को उनके द्वारा और अजयसिंह भदौरिया द्वारा विधिवत क्रय किया गया है तथा मृतक जबरसिंह बाथम जाति का होकर पिछड़ा वर्ग में आते थे तथा वादीगण मांझी जाति के होकर अनुसूचित जनजाति में आते हैं। इस प्रकार से मृतक जबरसिंह के वादीगण वारिस नहीं हैं। और काल्पनिक वाद कारण दावे को म्याद भीतर लाने के उद्देश्य से असत्य रूप से लेख किये गये हैं। प्रतिवादी क्र0-2 ने प्रतिवादी क्र0-1 को किया गया विक्रय पत्र पूर्ण स्वत्व के आधार पर स-प्रतिफल वास्तविक कब्जा सौंपते हुए किया गया है। इसलिये वादीगण कोई भी आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः उनका वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

8. उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये गये जिनके समक्ष मेरे द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :-

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त प्लॉट दावे के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है वह वादीगण के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य का है?	
2	क्या वादीगण के द्वारा जबरसिंह का वारिस होना गलत बताया गया है?	
3	क्या उक्त वादग्रस्त प्लॉट के संबंध में प्रतिवादी क्र0-1 ने प्रतिवादी क्र0-2 से दिनांक 15.06.09 को गलत रूप से स्वत्व विहीन वयनामा करा लिया है?	
4	क्या विक्रय पत्र दिनांक 15.06.09 वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य के मुकाबले व्यर्थ व शून्य है?	
5	क्या प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है?	
6	क्या वादीगण का दावा अवधि बाधित है?	
7	सहायता एवं व्यय?	

--- सकारण निष्कर्ष ---

9. वादीगण की ओर से वादी मुन्नालाल वासा0-1, सीताराम वा0सा0-2, विजय सिंह वा0सा0-3 के अभिसाक्ष्य कराते हुए प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-4

के दस्तावेज पेश किये गये हैं। तथा प्रतिवादीगण की ओर से स्वयं प्रतिवादी संजय शर्मा प्र०सा०-1, भगवती प्रसाद शर्मा प्र०सा०-2, माताप्रसाद प्र०सा०-3 और दिनेश कांकर प्र०सा०-4 के अभिसाक्ष्य कराते हुए प्रश्नगत विक्रय पत्र मूल प्र०डी०-1 व प्र०डी०-2 के रूप में पेश किये हैं। प्र०पी०-4 और प्र०डी०-1 एक ही वयनामा है जो मूल प्र०डी०-1 और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-4 के रूप में पेश है।

वाद प्रश्न क्रं 06 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण

10. उक्त वादप्रश्न प्रतिवादीगण के वादोत्तर में किए गये आक्षेप पर से निर्मित किया गया है, जिसके संबंध में उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत किए गये साक्षियों के अभिसाक्ष्य में कोई भी तथ्य नहीं आये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से संजय शर्मा प्र.सा.-1 और भगवतीप्रसाद शर्मा प्र.सा.-2 तथा माताप्रसाद प्र.सा.-3 तथा दिनेश कांकर प्र.सा.-4 के अभिसाक्ष्य कराये गये हैं, जिनमें से किसी ने भी वाद अवधि बाधित होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्र.सा.-1 और प्र.सा.-2 प्रकरण के प्रतिवादी भी हैं। उनके अभिसाक्ष्य में भी वाद की समयावधि के बारे में कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं, न कोई दस्तावेज पेश किए गये हैं। समयावधि का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न होता है और कोई वाद समय बाधित है या नहीं, यह न्यायालय को भी स्वयं आंकलित करना होता है।
11. प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गये वाद में प्रदर्श पी. 0-4 का बयनामा दिनांक-15/6/2009 जो प्रमाणित प्रतिलिपि के रूप में पेश किया गया है, जिसकी मूल प्रति प्रतिवादीगण ने प्रदर्श डी.-1 के रूप में पेश की है, उसे चुनौती देते हुए स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है और अभिवचनों में वाद कारण दिनांक-22/11/2009 को बलपूर्वक निर्माण करने की धमकी देने से उत्पन्न बताया है तथा यह भी उल्लेख किया कि उसके संबंध में जो पूर्व से प्रदर्श पी.-1 के आदेश संबंधी सिविल वाद मोहम्मद आजम के विरुद्ध पृथक से संचालित किया गया है, उसमें पक्षकार बनाये जाने संबंधी दिये गये आवेदनपत्र को निरस्त करने से भी उत्पन्न बताया है। प्रदर्श पी.-1 के सिविल जज वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय में संचालित सिविल वाद क्रमांक-43ए/2009 में पक्षकार बनाये जाने के संबंध में पेश किए गये आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के निरस्ती के आदेश दिनांक-21/11/2011 है और यह वाद दिनांक-2/12/2012 को वादीगण द्वारा पेश किया गया था।
12. घोषणा संबंधी वाद के लिए परिसीमा अधिनियम 1956 की अनुसूची के भाग-03 में समयावधि के संबंध में प्रावधान किये गये हैं, जिसके अनुच्छेद-56 के मुताबिक किसी रजिस्ट्रीकृत लिखित को कूटरचित होने की घोषणा के लिए जब वह निकाला जाना या रजिस्ट्रीकृत होना वादी को ज्ञात हो जाये, उससे तीन वर्ष की मियाद बतायी गयी है तथा अन्य प्रकार की घोषणा भी प्राप्त करने के लिए भी अनुच्छेद-58 में जब वाद लाने का अधिकार प्रथम

बार प्रोदभूत होता है, उससे तीन वर्ष की मियाद बतायी गयी है और जहां कोई खण्डन न हो, वहां अभिवचनों के आधार पर ही समयावधि की गणना की जाती है। ऐसे में वादीगण का उक्त वाद अवधि बाधित होना विधिक रूप से नहीं पाया जाता है। फलतः वादप्रश्न क्रमांक-06 वादीगण के पक्ष में निर्णीत कर 'अप्रमाणित' ठहराया जाता है।

— वादप्रश्न क्रमांक-02 —

13. उक्त वादप्रश्न भी प्रतिवादीगण द्वारा वादोत्तर में उठायी गयी आपत्ति पर से निर्मित किया गया था, जिसमें विशेष आपत्ति लेते हुए वादोत्तर पद क्रमांक-9 में यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण द्वारा पेश किये गये वाद के अनुसार वह स्वयं को मांझी जाति का होकर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का बाते हैं, जबकि मृतक जबरसिंह जो वादग्रस्त भूमि के पूर्व हितानुवर्ती बाथम जाति के होकर पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसलिये वादीगण और जबरसिंह की जातियां अलग-अलग होने के कारण वे जबरसिंह के उत्तराधिकार क्रम में नहीं आते हैं। इस संबंध में अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से साक्ष्य पेश की गयी है, चूंकि यह आपत्ति प्रतिवादीगण द्वारा उठायी गयी है, इसलिये उक्त वादप्रश्न का प्रमाण भार प्रतिवादीगण पर है।
14. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी संजय प्र.सा.-1 ने इस संबंध में अपने अभिसाक्ष्य कंडिका-3 व 4 में यह कहा है कि विवादित भूमि के पूर्व स्वामी मृतक जबरसिंह बाथम जाति के होकर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति थे और वादीगण स्वयं को मांझी समाज का बता रहे हैं, जोकि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। ऐसी दशा में जबरसिंह बाथम के वारिस वादीगण कानूनन नहीं हैं। जबरसिंह मांझी नाम का कोई भी व्यक्ति गोहद में नहीं था और वादीगण द्वारा उनके भूखण्ड को हड़पने के लिए गलत रूप से दावा जबरसिंह के वारिस बताते हुए पेश किया गया है। इसी आशय का मुख्य परीक्षण का अभिसाक्ष्य प्रतिवादी भगवतीप्रसाद प्र.सा.-2 ने भी अपनी अभिसाक्ष्य की कंडिका 2 और 3 में किया है।
15. प्र0सा0-01 के द्वारा पैरा-07 में वादी को पहचानते हुए यह कहा है कि उनके पिता का नाम जबरसिंह बाथम है, लेकिन प्रदर्श डी.-2 के बयनामा पर जो छायाचित्र लगा हुआ है, वह वादी मुन्नालाल के पिता का है या नहीं, यह वह नहीं बता सकता। प्रदर्श डी.-2 का बयनामा उसे भगवतीप्रसाद ने प्रदर्श डी.-1 का बयनामा करते समय ही दिया था। पैरा-8 में उसने यह कहा है कि उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वादग्रस्त जमीन वादीगण के पूर्वजों की होकर पुश्तैनी है या नहीं और उन्होंने पुश्तैनी संपत्ति होने से निर्माण अनुमति ली थी या नहीं। पैरा-9 में उसका यह भी कहना रहा है कि वह जबरसिंह बाथम से कभी नहीं मिला और प्रदर्श डी.-2 के दस्तावेज में अंकित जबरसिंह नामक व्यक्ति वादीगण के पिता हैं या नहीं, यह भी उसे जानकारी नहीं है। उसने मुख्य परीक्षण कंडिका-3 में मांझी समाज और बाथम समाज अलग अलग अपने निजी ज्ञान के आधार पर बताया है, क्योंकि उसने

इस संबंध में सूचियां देखी हैं, लेकिन सूचियों में बाथम समाज पिछड़े वर्ग की सूची में किस क्रमांक पर है और मांझी समाज अनुसूचित जनजाति सूची में किस क्रमांक पर है, इसकी उसे जानकारी नहीं है ।

16. इस संबंध में भगवतीप्रसाद शर्मा प्र.सा.-2 ने अपने प्रतिपरीक्षण पैरा-5 में नगरपालिका परिषद गोहद में परिषद, कनिष्ठ, उपाध्याय, अध्यक्ष आदि रहने का विवरण देते हुए पैरा-6 में कहा है कि नामांतरण की कार्यवाही परिषद द्वारा की जाती है । पैरा-7 में उसने यह कहा है कि वादी मुन्नालाल जबरसिंह का पुत्र है या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है । किन्तु उसने यह स्वीकार किया है कि वादी उसके पड़ोस में ही रहता है और उसके घर से निकलते ही जबरसिंह का घर एक दो घर बाद आ जाता है । प्रदर्श डी.-2 के छायाचित्र को देखते हुए उसका यह भी कहना है कि छायाचित्र वाला वही जबरसिंह है, जिससे उसने बयनामा निष्पादित कराया था और उसके पड़ोस में रहते थे । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस बात से इंकार किया है कि वादी मुन्नालाल उन्हीं जबरसिंह का पुत्र है, जिससे उसने बयनामा कराया था । पैरा-8 में उसे यह जानकारी भी नहीं है कि जबरसिंह की गोहद में कोई पुश्तैनी जायदाद थी या नहीं और प्रदर्श पी.-2 नगरपालिका द्वारा मंजूर किया गया दस्तावेज बताया है । पैरा-11 में उसका यह भी कहना है कि मुख्य परीक्षण में उसने जबरसिंह बाथम लिखवाया है, जिसे वह जानता है । जबरसिंह मांझी को नहीं जानता है और यदि मुख्य परीक्षण में जबरसिंह बाथम के अलावा जबरसिंह मांझी भी लिखा हो तो वह उसने नहीं लिखवाया है । पैरा-7 की बात पैरा-11 में भी दोहराई गयी है कि यह जानकारी नहीं है कि जिस जबरसिंह से उसने बयनामा प्रदर्श डी.-2 का कराया था, वादी उसी का पुत्र है ।

17. इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में स्वयं वादी मुन्नालाल वा.सा.-1 ने अपनी नाम बल्लियत मुन्नालाल पिता का नाम जबरसिंह जाति मांझी उल्लेख करते हुए विवादित संपत्ति अपनी पैत्रिक संपत्ति बतायी है । प्रतिपरीक्षण पैरा-6 में यह स्वीकार किया है कि उसकी जाति मांझी है, गोत्र बाथम है और उसकी जाति अनुसूचित जनजाति में आती है । वह वार्ड नंबर-2 का पार्षद रहा है और उसने सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ा था, उस समय स्वयं को पिछड़ा वर्ग का नामांकन में बताया था या नहीं यह उसे याद नहीं है तथा उसके चुनाव लड़ते समय वार्ड नंबर-2 की सीट सामान्य वर्ग की थी । पैरा-7 में उसका यह भी कहना है कि उसके पिता का नाम जबरसिंह मांझी है और वे गोहद में रहते थे, जिनके पिता का नाम तुलसीदास जाति मांझी था तथा यह भी स्वीकार किया है कि जबरसिंह पुत्र तुलसीराम बाथम ने नगरपालिका क्षेत्र में कई विक्रयपत्र निष्पादित किए थे, जो जाति मांझी के थे, उसकी मां रामश्री बाई मांझी लिखती थीं और अनुसूचित जनजाति सीट से गोहद मण्डी की अध्यक्ष रह चुकी हैं । पैरा-8 में भी उसका यह कहना है कि उसके पिता जबरसिंह पुत्र तुलसीराम जाति मांझी व गोत्र भोई, बाथम, केवट लिखते थे ।

18. सीताराम वा.सा.-2 ने भी विवादित संपत्ति वादी के पूर्वज की पैत्रिक बताते हुए प्रतिपरीक्षण पैरा-3 में यह कहा है कि वह मांझी जाति का है, भोई

और बाथम उनके गौत्र होते हैं, इसके अलावा भी कश्यप, खैरवार, ढीमर, मलाह आदि भी गौत्र होते हैं ।

19. प्रकरण में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि अपने पूर्वजों की पैत्रिक संपत्ति बताते हुए प्रतिवादी क्र.-1 के बयनामा को चुनौती देते हुए दावा किया है, जिसका प्रमाण भार वादीगण पर ही है, जो वादप्रश्न क्रमांक-1 के विश्लेषण करते समय निष्कर्षित किया जावेगा । जहां तक वादीगण के द्वारा जबरसिंह का वारिस गलत बताये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभिवचनों में वादीगण ने अपनी तीन पीढ़ियों का रिकॉर्ड पेश नहीं किया है और प्रतिवादी क्र.-2 ने जबरसिंह बाथम से भूमि खरीदी थी, जिसे प्रतिवादी क्र.-1 को बेचा । वादीगण की जाति मांझी है और जिनसे बयनामा कराया था, वे बाथम थे । दोनों अलग-अलग हैं, क्योंकि बाथम अन्य पिड़ड़ा वर्ग में आते हैं और मांझी अनुसूचित जनजाति में आते हैं जबकि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादीगण जबरसिंह के पुत्रगण हैं, जिनकी जाति मांझी है, गौत्र बाथम है और वादीगण के पिता मांझी जाति के ही थे, गौत्र बाथम लिखते थे । इसमें कोई संदेहजनक बात नहीं है और प्रतिवादीगण ने अनावश्यक ही यह बिन्दु भ्रमित करने के उद्देश्य से उठाया है, जिसका कोई आधार नहीं है इसलिये उक्त वादप्रश्न वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जावे ।

20. तर्कों के दौरान प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल का रक्यूलर क्रमांक-एफ/23-45/2002/25/4 भोपाल दिनांक-4/3/2005 की छायाप्रति पेश की है, जिसके साथ मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ख) में दिनांक 1 जुलाई 1977 को प्रकाशित प्रथम अनुसूची (देखिये धारा-3) संविधान (अनुसूचित जाति) अध्यादेश, 1950 अनुसूचित जातियों की सूची, परिशिष्ट-2 म.प्र. की अनुसूचित जनजातियां (संशोधन 1976) एवं म.प्र. की पिछड़ा वर्ग की सूत्री को पेश करते हुए तर्क किया है । राजपत्र विधि का रूप होता है और उसका न्यायालय स्वयं भी संज्ञान ले सकता है । मामले में वादीगण की जाति को लेकर विवाद उत्पन्न किया गया है, अन्य पिछड़े वर्ग की जो सूची पेश की गयी है, उसमें क्रमांक-12 पर ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह/नावड़ा/तरहा, केवट, (कश्यप, निपाद, रायकवार, बाथम), कीर (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) ब्रितिया (वृत्तियां) सिंगरहा, जालारी (जालारपलु बस्तर जिले में) सोंधिया बतायी गयी हैं और अनुसूचित जनजाति में क्रमांक-29 पर मांझी बताया गया है । कोई दस्तावेजी साक्ष्य में जाति प्रमाणपत्र किसी भी ओर से पेश नहीं है ।

21. प्रकरण में जो मौखिक साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें स्वयं प्रतिवादी क्र.-1 व 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात से स्पष्ट इंकार नहीं किया है कि प्रदर्श डी.-2 का बयनामा का विक्रेता जबरसिंह पुत्र तुलसीराम जाति बाथम वादीगण का पिता था या नहीं था, बल्कि वे इस बारे में अज्ञानता जाहिर करता है जबकि स्वयं भगवतीप्रसाद के मुताबिक वह वादीगण और उनके पिता का

निकट पड़ोसी रहा है, ऐसे में उसकी अज्ञानता जाहिर करना उसके न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से न आना परिलक्षित करता है क्योंकि यह सामान्य बुद्धि विवेक की बात है कि जिस व्यक्ति से कोई व्यक्ति संपत्ति का सम्यक् व्यवहार करे और उसके बारे में या उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हो । ऐसे में प्रतिवादीगण का वादीगण की जाति को लेकर किया गया विवाद उचित व न्याय संगत नहीं माना जा सकता है तथा वादीगण की साक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से आया है कि उनके समाज में गौत्र के रूप में बाथम, केवट, भोई, कश्यप, मलहार, ढीमर, खैरवार आदि लिखते हैं । यदि गौत्र के रूप में कोई भी इस तरह के शब्दों का उपयोग करता है तो उसके आधार पर जाति परिवर्तित नहीं होती है । ऐसे में अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य है और प्रदर्श डी.-2 के बयानामा में जो छायाचित्र विक्रेता जबरसिंह का चस्पा है, वह वादीगण के पिता का होना ही इंगित करता है । ऐसे में जो जाति संबंधी सूचियां पेश की गयी हैं, उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि वादीगण और प्रदर्श डी.-2 पर विक्रेता का चस्पा फोटो अलग अलग जाति के थे और उनका आपस में कोई संबंध नहीं था, बल्कि जिस तरह वादी की साक्ष्य में तथ्य आये हैं और प्रतिवादी क्र.-1 व 2 ने इस बिन्दु पर अज्ञानता जाहिर की है, उससे वादीगण जबरसिंह की संतानें होना ही माना जाता है । ऐसे में वादीगण के द्वारा जबरसिंह का वारिस गलत रूप से बताये जाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । फलतः वादप्रश्न क्र.-2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत कर 'अप्रमाणित' ठहराया जाता है ।

—::— वादप्रश्न क्रमांक-1 —::—

22. इस संबंध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक साक्ष्य में वादी मुन्नालाल वा.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में विवादित प्लॉट आपा कॉलौनी वार्ड नंबर-2, डाक बंगला के पास गोहद में स्थित बताते हुए उसका क्षेत्रफल उत्तर दिशा की ओर पूर्व-पश्चिम 120 फीट तथा दक्षिण दिशा में 110 फीट लंबा और पश्चिमी दिशा की ओर 90 फीट चौड़ा और पूर्व दिशा की ओर 40 फीट चौड़ा बताते हुए पूर्व में 15 फीट का रास्ता, पश्चिम दिशा में पप्पू उर्फ फजल अली रहमान का मकान, उत्तर दिशा में पुराने महल, दक्षिण में आम रास्ता 55 फीट बताते हुए उसे अपनी पैत्रिक संपत्ति होकर काबिज काश्त होना और पूर्वजों के समय से उसका बरताव करते चले आना बताया है तथा इस संबंध में प्रदर्श पी.-2 का नगरपालिका गोहद का निर्माण अनुमति का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी.-3 अनुमोदित नक्शा पेश किया है और नक्शा को अपना मूल आधार बताते हुए प्रतिपरीक्षण में यह कहा है कि उसने अपने पिता के इन्द्राज का कोई खसरा खतौनी का अभिलेख या भू-अधिकार ऋण पुस्तिका पेश नहीं की है, नक्शा पेश किया है । वादग्रस्त भूमि का उसे रकवा याद न होना पैरा-8 में बताया है तथा पैरा-7 में उसने यह कहा है कि उसके पिता जबरसिंह ने गोहद नगरपालिका क्षेत्र में कई विक्रयपत्र निष्पादित किए थे और पैरा-9 में यह कहा है कि उसे नामांतरण के संबंध में जानकारी नहीं है तथा पैरा-10 में यह भी कहा है कि उसे यह भी जानकारी नहीं है कि विवादित भूमि आवादी के रूप में अंकित है या नहीं, लेकिन उसपर अपना स्वत्व बताया है ।

23. वादीगण के साक्षी सीताराम वा.सा.-2 ने भी मुख्य परीक्षण में वा.सा.-1 की तरह ही विवादित भूमि की चतुरसीमा और माप तथा वादीगण के पुश्तैनी स्वत्व आधिपत्य की भूमि बताते हुए पैरा-3 में यह कहा है कि उसने विवादित भूमि देखी है और वह 30 वर्षों से देखता आ रहा है । लेकिन पैरा-4 के मुताबिक उसे विवादित भूमि की लंबाई चौड़ाई फुट में पता नहीं है, उसने पहले उक्त भूमि पर फसल होना तथा विवादित भूमि के पश्चिमी दिशा में धार्मिक स्थान तकिया होना कहा है । पैरा-5 में विवादित भूमि के कोई बाउण्ड्रीबाल न होना और खुली होना बताते हुए वादी का समर्थन किया है । विजय सिंह वा.सा.-3 ने भी मुख्य परीक्षण में इसी तरह का अभिसाक्ष्य देते हुए पैरा-3 में विवादित भूमि देखना और पैरा-4 में तीन विस्वा होना कहा है, किन्तु कोई राजस्व कागजात नहीं देखना, लंबाई-चौड़ाई उसे पता न होना बताया है और मुख्य परीक्षण में उसने कोई क्षेत्रफल लिखाया था या नहीं यह भी से याद नहीं है । पैरा-6 में उसने वादी मुन्नालाल का कब्जा बताया था ।
24. इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गयी साक्ष्य में प्रतिवादी संजय प्र.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में प्र.डी.-1 के बयनामा के द्वारा कय की गयी भूमि पर अपना कब्जा व निस्तार बताते हुए प्रतिवादी क.-2 से दिनांक-15/6/2009 को कय करना कहा है तथा पैरा-7 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि नगरपालिका गोहद के क्षेत्रांतर्गत आती है और उसने बयनामा के बाद नामांतरण की कार्यवाही की थी । किन्तु नामांतरण हुआ या नहीं हुआ इसकी उसे जानकारी नहीं है । उसने नक्शा बनवाया था, जो पेश नहीं किया है । पैरा-8 में उसने इस बात की जानकारी से इंकार किया है कि विवादित जमीनें वादीगण के पूर्वजों की होकर पुश्तैनी हैं या नहीं है, और उसे यह भी जानकारी नहीं है कि वादीगण ने पुश्तैनी संपत्ति होने से नगरपालिका परिषद से निर्माण की अनुमति प्राप्त की थी तथा पैरा-9 में यह भी कहा है कि वह जबरसिंह से कभी नहीं मिला ।
25. भगवतीप्रसाद शर्मा प्र.सा.-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श डी.-2 का बयनामा जबरसिंह बाथम से कराना बताते हुए पैरा-8 में प्रदर्श डी.-2 के आधार पर नामांतरण न कराना स्वीकार किया है और यह कहा है कि उसे कोई निर्माण नहीं करना था, इसलिये उसने नक्शा नहीं बनवाया, न मंजूर कराया और नामांतरण के कागजात नगरपालिका में होंगे । उसने बयनामा वाली भूमि अलग होना पैरा-9 में बताते हुए बयनामा की भूमि वादीगण की पैत्रिक संपत्ति होना से इंकार किया है । उसे भी यह जानकारी नहीं है कि जबरसिंह की गोहद में पुश्तैनी जायदाद है या नहीं है । प्र.सा.-3 व 4 बयनामों से संबंधित साक्षी हैं, जिन्हें वादप्रश्न क्रमांक-3 और 4 के संबंध में विश्लेषित किया जावेगा ।
26. इस संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि वादीगण की पुश्तैनी स्वत्व आधिपत्य की होकर उनके निस्तार में है और पुश्तैनी संपत्ति होना मौखिक साक्ष्य व प्रदर्श पी.-2 और 3 के दस्तावेजों से ही प्रमाणित है, क्योंकि वह नगरपालिका क्षेत्र की होकर आवादी की भूमि है,

जिसका राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं होता है और प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पिता जबरसिंह से भूमि खरीदाना बताया है, इससे ही पैत्रिक होना प्रमाणित है, इसलिये वादप्रश्न क्रमांक-1 उनके पक्ष में निर्णीत किया जाये, जबकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादीगण ने अभिवचनों में पैत्रिक संपत्ति का उल्लेख किया है, किन्तु कोई दस्तोवज पेश नहीं किया है, जिससे वादीगण की तीन पीढ़ियों का कोई इन्द्राज हो और प्रतिवादीगण ने जबरसिंह बाथम जिससे भगवतीप्रसाद द्वारा जमीन खरीदी गयी थी, वह वादीगण का पिता होना स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि दोनों की जातियां अलग अलग हैं तथा मूल बयनामे पेश किए हैं, नामांतरण की कार्यवाही भी की है । हालांकि यह स्वीकार किया है कि नामांतरण का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और विक्रयपत्र की भूमि वादीगण की पैत्रिक संपत्ति किसी भी रूप में नहीं है, इसलिये वादप्रश्न वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जावे ।

27. अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से इस संबंध में जो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें वादीगण ने प्रदर्श पी.-2 निर्माण की अनुमति और प्रदर्श पी.-3 विवादित भूमि का मानचित्र को आधार बताते हुए उसके आधार पर भूमि पैत्रिक होना कहा है, जबकि प्रतिवादीगण ने बयनामा वाली भूमि के संबंध में अपनी साक्ष्य में विरोध किया है और प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वैकल्पिक रूप से यह तर्क भी किया कि यदि जबरसिंह बाथम को वादीगण को पूर्वज भी मान लिया जाये तो उसने स्वअर्जित संपत्ति के आधार पर भगवतीप्रसाद को बयनामा किया, इसलिये उसके संबंध में वादीगण को कोई अधिकार ही नहीं है ।

28. प्रतिवादीगण की ओर से दोनों बयनामा प्रदर्श डी.-1 और डी.-2 के रूप में पेश किए गये हैं जिन्हें वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 के संदर्भ में ही विश्लेषित किया जावेगा । प्रदर्श पी.-2 और 3 के दस्तावेजों का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है । प्रदर्श पी.-2 का नगरपालिका गोहद का वादीगण को दिया गया प्रमाणपत्र दिनांक-7/4/2004 है, जिसमें संलग्न नक्शा मुताबिक निर्माणकी अनुमति दी गयी है । प्रदर्श पी.-3 के रूप में जो नक्शा पेश किया गया है उसके क्षेत्रफल में और चतुरसीमा के मुताबिक कुल क्षेत्रफल 8400 वर्गफीट बताया है, जिसमें कवर्ड ऐरिया 5712 वर्गफीट और ओपन ऐरिया 2680 वर्गफीट बताया है, उसकी जो चतुरसीमा है, उसके मुताबिक पश्चिम में 120 फीट, पूर्व में 40 फीट, दक्षिण दिशा तरफ 110 फीट और उत्तर दिशा तरफ पुरानी नहर का उल्लेख किया है, जिसे वादीगण 90 फीट बताते हैं । जो बयनामे के साथ चतुरसीमा प्रदर्श डी.-1 और डी.-2 में दर्शाई गयी है और जो क्षेत्रफल है, वह उससे भिन्न है इसलिये अभिलेख पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्नगत किए गये विक्रयपत्र प्रदर्श डी.-1 की भूमि प्रदर्श पी.-3 के अनुमोदित मानचित्र का अंश होना मानी जा सके, क्योंकि उसकी चतुरसीमा की जो स्थिति बतायी गयी है, उससे भी मिलान नहीं होता है ।

29. यह सही है कि स्वीकृत तौर पर विवादित भूमि नगरपालिका क्षेत्र की होकर आवादी की उभयपक्ष द्वारा की गयी है, ऐसे में जिस भूमि को वादपत्र में

अभिवचनित किया गया है, उसके संबंध में कोई राजस्व अभिलेख होना संभव नहीं है। जहां तक नामांतरण का प्रश्न है, नामांतरण के बारे में सुस्थापित विधि है कि नामांतरण हक का आधार नहीं होता है, जैसा कि न्याय दृष्टांत सूरजपाल एवं अन्य विरुद्ध वित्त आयोग (2007) ।। एस.सी.सी. डी.-पेज-945 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत शांतिबाई विरुद्ध फूलीबाई 2008 राजस्व निर्णय पेज-33 में यह कहा गया है कि राजस्व अभिलेख अथवा अन्य अभिलेख जैसा नगरपालिका या नगर पंचायत में नामांतरण रूप में वित्तीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, ऐसी पृविष्टी हक का स्त्रोत नहीं है, इसलिये नामांतरण होने, न होने को स्वत्व का प्रमाण विधि रूप से नहीं माना जा सकता है और उसके संबंध में किया गया तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है।

30. वादप्रश्न क्रमांक-2 के विश्लेषण में यह माना जा चुका है कि जबरसिंह बाथम जिससे प्रतिवादी क्र.-2 भगवतीप्रसाद ने बयनामा कराना बताया है, वह वादीगण के ही पिता थे और प्रतिवादीगण ने जबरसिंह बाथम से अधिकार पूर्वक उसका स्वत्व मानते हुए बयनामा कराना कहा है। ऐसे में यदि कोई संपत्ति जबरसिंह बाथम की मानी जाये तो वह वादीगण पुत्र होकर वारिस होने के नाते उसके उत्तराधिकारी होकर उनके लिए पैत्रिक संपत्ति की श्रेणी में आयेगी। प्रदर्श डी.-2 का बयनामा विधिक रूप से हुआ है या नहीं हुआ, यह वादप्रश्न क्रमांक-3 और 4 में देखा जाना है, किन्तु उसके लिए शेष भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वे बयनामा की भूमि पर ही अपना अधिकार बताते हुए प्रतिरोध कर रहे हैं। ऐसे में शेष भूमि के बाबत वादीगण का हक व आधार मान्य किया जा सकता है। हालांकि दोनों पक्षों के नक्शों से चतुरसीमायें भिन्न-भिन्न पायी गयी हैं। ऐसे में प्रदर्श डी.-1 और डी.-2 की भूमि को छोड़कर शेष भूमि के संबंध में वादीगण का अपने पिता से प्राप्त भूमि के आधार पर पैत्रिक स्वत्व व आधिपत्य माना जाकर वादप्रश्न क्रमांक-01 को वादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से 'प्रमाणित' मानते हुए निर्णीत किया जाता है।

-::-वादप्रश्न क्र.-3 और 4 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण

31. दोनों वाद प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं जिनका सुविधा की दृष्टि से और विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इस कारण एक साथ मूल्यांकन व विश्लेषण किया जा रहा है।
32. उक्त वादप्रश्नों का प्रमाण भार भी वादीगण पर है। वादीगण ने इस संबंध में जो साक्ष्य पेश की है, उसमें मुन्नालाल वा.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि प्रतिवादी क्र.-1 ने प्रतिवादी क्र.-2 से साजिश करके गलत रूप से बयनामा करा लिया है और बयनामा वाली भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति होने से कब्जा व निस्तार है। प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार और कब्जा नहीं है तथा पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि विवादित जमीन की

कोई बाउण्डीबाल नहीं है । पैरा-9 में उसने उक्त भूमि पर अपने खण्डे, पटिया पड़ी होना बताते हुए कब्जा बताया है और पैरा-10 में इस बात से इंकार किया है कि उसने संजय शर्मा एवं भगवतीप्रसाद की जमीन हड़पने के लिए झूठा दावा किया है, वादीगण के अन्य साक्षी सीताराम वा.सा.-2 और विजय सिंह वा. सा.-3 ने भी वा.सा.-1 की तरह ही इस संबंध में अभिसाक्ष्य करते हुए विवादित भूमि खूली होना बताया है तथा विजय सिंह ने पैरा-5 में यह भी कहा है कि उसके सामने विवादित भूमि के संबंध में वादी मुन्नालाल प्रतिवादी संजय और भगवतीप्रसाद व फजले रेहमान से कोई विवाद नहीं हुआ, उसने पैरा-6 में इस बात से इंकार किया है कि जबरसिंह बाथम ने जो भगवतीप्रसाद शर्मा को भूमि बेचकर कब्जा दिया था, उसमें भगवतीप्रसाद ने संजय शर्मा को कब्जा दिया बल्कि उसने मुन्नालाल का कब्जा बताया है ।

33. इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गयी साक्ष्य में संजय शर्मा प्र.सा.-1 ने दिनांक-15/6/1990 को प्रतिवादी क्र.-2 भगवतीप्रसाद शर्मा से विवादित भू-खण्ड का बयनामा कर कर्य करना और उसमें कब्जा प्राप्त करना तथा हरकिस्मी कब्जा बरताव होना बताते हुए पैरा-7 में यह कहा है कि उसने नींव खुदवायी थी जो अभी भरी नहीं है, उनके द्वारा नींव खुदवाने पर वादी ने आपत्ति की थी और विवादित जमीन अपनी बतायी थी । पैरा-8 में उसने यह कहा है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वादग्रस्त जमीन वादीगण के पूर्वजों की होकर पुश्तैनी है या नहीं । इसी प्रकार भगवतीप्रसाद प्र. सा.-2 ने भी अपने साक्ष्य में बताया है और पैरा-8 और 9 में उसे भी यह जानकारी नहीं है कि जबरसिंह की गोहद में पुश्तैनी जायदाद थी या नहीं थी ।

34. माताप्रसाद प्र.सा.-3 के रूप में पेश किया गया साक्षी है, जोकि प्रदर्श डी.-2 के बयनामा का अनुप्रमाणक साक्षी बताया गया है । जिसने अपनी अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि जबरसिंह द्वारा भगवतीप्रसाद शर्मा के हक में भू-खण्ड का विक्रय किया था और विक्रयपत्र पर उसने गवाही के हस्ताक्षर किए थे, उसने पैरा-3 में यह स्वीकार किया है कि जबरसिंह की गोहद में पुश्तैनी जायदाद थी जिसे वह पहचानता है । हालांकि वह वादीगण के पिता से भिन्न व्यक्ति जबरसिंह को बताता है और पैरा-4 में उसने यह स्पष्ट किया है कि उसने केवल कचहरी में गवाही के रूप में हस्ताक्षर बयनामा पर किए थे और उसे विवादित भूमि के क्षेत्रफल, प्रतिफल और उसके लेन-देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है । उक्त साक्षी ने प्रदर्श डी.-2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं ।

35. दिनेश कांकर प्र.सा.-4 जो कि प्रदर्श डी.-1 के बयनामा का अनुप्रमाणक साक्षी है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में भगवतीप्रसाद शर्मा द्वारा संजय शर्मा के हक में बयनामा कराना और उसपर गवाही के हस्ताक्षर करना बताते हुए प्रदर्श डी.-1 पर सी से सी अपने हस्ताक्षर बताये हैं और विक्रयपत्र वाली भूमि देखना तथा बरथरा रोड के कोने में होना पैरा-3 में बताते हुए उसकी माप 45 X 40 वर्गफीट बतायी है, लेकिन चतुरसीमा की उसे जानकारी नहीं है, जिसे संजय ने भगवतीप्रसाद से 57,000/-रुपये में कर्य किया था और उसके सामने लेन-देन हुआ था ।

36. इस संबंध में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विवादित भूमि उनकी पैत्रिक संपत्ति है और बयनामा केवल उनकी भूमि हड़पने के लिए दिखावटी तौर पर करा लिया है जो वादीगण के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन है तथा माताप्रसाद साक्षी के संबंध में उनका यह भी तर्क है कि माताप्रसाद झूठा साक्षी है, क्योंकि उसके पिता का नाम लक्ष्मीनारायण न होकर छोटेलाल कुशवाह है । इसलिये प्रतिवादी की साक्ष्य अग्राह्य की जाये और वादप्रश्न उनके पक्ष में निर्णीत किया जाये, जबकि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि भगवतीप्रसाद ने जबरसिंह बाथम से भूमि खरीदी थी, वही संजय को विक्रय की है और दोनों बयनामे मूल रूप से पेश किये हैं, जिससे उनका विधिक रूप से निष्पादित होना प्रमाणित है तथा वादीगण का जबरसिंह बाथम से कोई संबंध नहीं है यदि जबरसिंह को वादीगण का पिता मान भी लिया जाये तो भी जबरसिंह बाथम को अपने जीवन काल में स्वयं की संपत्ति को विक्रय करने का हक व अधिकार था, इसलिये भी बयनामे शून्य व प्रभावहीन नहीं हो सकते हैं और बयनामा वाली भूमि के संबंध में वादीगण का कोई दावा करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिये वादप्रश्न वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जावे ।

37. जहां तक साक्षी माताप्रसाद प्र.सा.-3 का प्रश्न है, जिसके संबंध में विचारण के दौरान भी आपत्ति उठायी गयी थी और उभयपक्ष की ओर से विचारण के दौरान जो कार्यवाही की गयी, उस न्यायिक कार्यवाही का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है । स्वयं प्रतिवादीगण ने उक्त साक्षी की बल्दियत के संबंध में उसके कथन में संशोधन की प्रार्थना की गयी थी, कि माताप्रसाद के पिता का नाम मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में लक्ष्मीनारायण अंकित किया गया है, क्योंकि परिवारिक लोग लक्ष्मीनारायण के नाम से पुकारते थे और शासकीय अभिलेख में छोटेलाल अंकित है और वे दोनों एक ही व्यक्ति थे । इससे यह तो स्पष्ट है कि माताप्रसाद के पिता का रिकॉर्डेड नाम लक्ष्मीनारायण न होकर छोटेलाल कुशवाह था । ऐसे में मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में दोनों नामों का उल्लेख न किए जाने से उक्त साक्षी को महत्वहीन माना जाकर अग्राह्य किया जा सकता है कि जो व्यक्ति अपना नाम, बल्दियत पता ही शपथ पर सही न बताये उसकी किसी बात को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । हालांकि वह जबरसिंह की पुश्तैनी जायदाद गोहद में होने की पुष्टि अवश्य करता है और प्रदर्श डी.-2 का साक्षी है और वर्तमान में वादीगण ने प्रदर्श डी.-2 के बयनामा को कोई चुनौती नहीं दी है, न ही उसके संबंध में कोई डिक्री चाहते हैं, ऐसे में उक्त साक्षी को पूरी तरह से अग्राह्य किए जाने से गुणदोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

38. बयनामे के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत धर्मन्द् एवं अन्य विरुद्ध इंदौर नगर निगम 1999 भाग-एक जे.एल.जे. पेज-119 में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 की धारा-17 के संबंध में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज कूटरचित होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पंजीयक से यह प्रत्याषा नहीं

की जा सकती है कि वह कूटरचित दस्तावेज का पंजीयन करेगा और प्रकरण में प्रदर्श डी-01 के बयनामे के संबंध में वादीगण ने अभिवचनों में उसे चुनौती तो दी है, किन्तु कूटरचित होना अभिवचनित नहीं किया है, न ही उसके संबंध में कूटरचना के बाबत कोई सुदृण साक्ष्य दी है, जबकि प्रदर्श डी.-1 का बयनामा प्रदर्श डी.-2 के बयनामे पर आधारित है और यदि प्रदर्श डी.-2 के बयनामा को स्वीकार किया जाये तो फिर प्रदर्श डी.-1 का बयनामा स्वमेव ही प्रमाणित हो जावेगा । वादीगण ने प्रदर्श डी.-2 के बयनामा को प्रकरण में कोई चुनौती न देकर एक तरह से उसे स्वीकार किया है और स्वयं वादी मुन्नालाल वा.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-7 में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि **“उसके पिता जबरसिंह पुत्र तुलसीराम बाथम ने नगरपालिका क्षेत्र गोहद में कई विक्रयपत्र निष्पादित किए थे”** । इस स्वीकारोक्ति एवं प्रदर्श डी.-1 को चुनौती न देने से यह भली-भांति स्थापित और प्रमाणित हो जाता है कि वादीगण के पूर्वज पिता जबरसिंह द्वारा अपने जीवन काल में बयनामे किए गये । ऐसे में भगवतीप्रसाद शर्मा प्र.सा.-2 को प्रदर्श डी.-2 का बयनामा दिनांक-07/01/1997 को किया जाना उपधारित होगा और उसका कोई खण्डन नहीं होता है, जो कि पंजीकृत लिखित दस्तावेज है ।

39. न्याय दृष्टांत **मनोहरलाल विरुद्ध गुगनचंद 1977 एम. पल.एल.जे.शॉर्ट नोट-58** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि दस्तावेजों की शब्दावली के आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित की जानी चाहिये । प्रदर्श डी.-2 का बयनमा मूल रूप से पेश किया गया है, जिसमें जबरसिंह बाथम के द्वारा भगवतीप्रसाद शर्मा को प्रतिवादीगण द्वारा बतायी गयी विक्रयपत्र वाली भूमि जोकि 45 X 14 अर्थात् 630 वर्गफीट है, जिसके पूर्व में खुली जगह डाक बंगला तरफ 14 फीट, पश्चिम में सुघरा आदि का खेत की तरफ 14 फीट और उत्तर में अन्य जगह अजय भदौरिया 45 फीट तथा दक्षिण तरफ रास्ता 15 फीट का है । जिस ओर 45 फीट क्षेत्रफल विक्रय बताया गया है, जबरसिंह द्वारा कई विक्रयपत्र किए जाने से प्रदर्श डी.-2 प्रमाणित माना जावेगा, क्योंकि प्रत्येक दस्तावेज के निबंधनों से ही उसकी प्रकृति और आशय किए जाने का सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **रमाकांत दुबे विरुद्ध सुरेशचन्द्र 1990 भाग-2 एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट 182** में प्रतिपादित किया गया है ।

40. प्रकरण में यह निर्धारित किया जा चुका है कि जबरसिंह बाथम जो कि वादीगण के पिता थे, उनके पास भूमि थी और उनहोंने कई बयनामे किए । ऐसे में प्रदर्श डी.-1 के बयनामे को इस प्रकरण में जो चुनौती दी गयी है, वह तबतक पूर्ण रूप से उचित नहीं मानी जा सकती जबकि प्रदर्श डी.-2 का बयनामा खण्डन न हो, क्योंकि भगवतीप्रसाद शर्मा के द्वारा जो भूमि विक्रय की गयी, वही भूमि प्रतिवादी संजय शर्मा को प्रदर्श डी.-1 द्वारा विक्रय की गयी है और प्रदर्श डी.-1 के अनुप्रमाणक साक्षी दिनेश कांकर प्र.सा.-4 ने भी उसका समर्थन किया है, जिसका कोई भी खण्डन वादीगण की ओर से नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में प्रदर्श डी.-1 की बयनामा की चतुरसीमा वाली भूमि के संबंध में वादीगण कोई भी आज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होना पाये जाते हैं,

इसलिये वादीगण की मौखिक साक्ष्य इस संबंध में अत्यंत निर्बल है और वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी क्र.-2 के द्वारा प्रतिवादी क्र.-1 के पक्ष में किए गया विक्रयपत्र दिनांक-15/6/2009 गलत रूप से स्वत्वविहीन होकर उनके मुकाबले व्यर्थ व शून्य है । इसलिये वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 वादीगण के विरुद्ध निर्णीत करते हुए 'अप्रमाणित' ठहराये जाते हैं ।

—::— वादप्रश्न क्रमांक— 5 —::—

41. इस संबंध में वादीगण की ओर से पेश किए गये तीनों साक्षियों ने मौखिक साक्ष्य में वादीगण का मौके पर काबिज होना, उनके खण्डे, पटिया पड़ी होना बताया है किन्तु वा.सा.-2 और वा.सा.-3 को चतुरसीमायें और लंबाई-चौड़ाई का ही पता नहीं है, इसलिये प्रदर्श डी.-1 के बयनामे वाली भूमि पर वादीगण का आधिपत्य में होना दर्शित नहीं होता है तथा जो वादकारण अभिवचनों में उल्लेखित किया गया है, उसके खण्डन स्वयं वादीगण के साक्षी विजय सिंह वा.सा.-3 के पैरा-5 में दिये गये कथन से होता है, जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि उसके सामने वादी मुन्नालाल, प्रतिवादी संजय और भगवतीप्रसाद तथा फजले रेहमान से कोई विवाद नहीं हुआ तथा प्रदर्श डी.-1 की भूमि के संबंध में वादीगण स्वत्व विहीन माने जा चुके हैं । ऐसे में प्रतिवादी संजय का क़यशुदा भूमि पर नींव खोदना अनुचित कार्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि क़ेता को विधिक रूप से क़य की गयी भूमि पर उसका उपयोग, उपभोग का अधिकार प्राप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में वादप्रश्न क्रमांक-5 को भी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं ठहराया जा सकता है । फलतः उसे भी 'अप्रमाणित' निर्णीत किया जाता है ।

—::— वादप्रश्न क्रमांक-7 सहायता एवं वादव्यय —::—

42. ऊपर किए गये विश्लेषण के आधारपर वादीगण को प्रदर्श डी.-1 में दर्शित भूमि के संबंध में स्वत्व विहीन माना गया है । ऐसी स्थिति में बयनामा दिनांक-15/6/2009 के संबंध में वादीगण द्वारा चाही गयी डिकी वे प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, शेष संपत्ति के संबंध में उनके स्वत्व, आधिपत्यधारी होने की घोषणा की जा सकती है । जैसा कि ऊपर पाया गया है । फलतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा प्रतिदत्त की जाती है, जो प्रतिवादीगण पर बाध्यकारी नहीं होगी :-

अ— वादीगण, प्रदर्श डी.-1 के बयनामा दिनांक-15/6/2009 में उल्लेखित भूमि 45 X 14 अर्थात 630 वर्गफीट जिसके पूर्व में खुली जगह डाक बंगला तरफ 14 फीट, पश्चिम में सुघरा आदि का खेत की तरफ 14 फीट और उत्तर में अन्य जगह अजय भदौरिया 45 फीट तथा दक्षिण तरफ रास्ता 15 फीट का है, जिस ओर 45 फीट क्षेत्रफल बताया गया है, को छोड़कर प्रदर्श डी.-3 की अन्य खुली भूमि का उनकी पैत्रिक भूमि होने से स्वत्व, आधिपत्यधारी

होना घोषित किया जाता है । प्रदर्श पी.-3 के मानचित्र को डिक्री का अंश बनाया जाता है ।

ब— प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे । जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने से सूची अनुसार दोनों में से जो भी कम हो वादव्यय में जोड़ा जावे ।

तदनुसार जयपत्र **(Decree)** बनायी जावे ।

दिनांक— 4 फरवरी 2015

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)